अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

ंस सिंह, जोगिन्द्र सिंह, सतनाम सिंह आदि **बनाम** तरसेम सिंह, बिन्द्र कौर, करनैल सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए नम्बर 18 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/251

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष पक्षकागन उपस्थित आए। अप्रार्थी बिन्द्र कौर, करनैल सिंह, तरसेम सिंह के द्वारा रास्ता हेतु सहमति पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया। उभयपक्ष बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अर्ज किया कि चक 10 एस के मुरब्बा नम्बर 95 के किला नम्बर 1 ता 4 में चल रहे रास्ता को गैरमुमकिन दर्ज किया जावे। रास्ता की भूमि के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 587 दिनांक 30.07.2024 से प्राप्त रिपोर्ट मुताबिक मौके पर मुरब्बा नम्बर 95 के किला नम्बर 1 ता 4 में रास्ता लगभग 70-80 वर्षो से चल रहा है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 10 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर के मुरब्बा नम्बर 95 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ 0.0253-0.0253 हैक्टेयर भूमि कुल 0.1012 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)	